भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 213B/2017–18

रोशनी महतो **बनाम** लीलावती महतो

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
5-3-18	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 262 दिनांक 17.02.2018 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 213 B/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता रोशनी महतो पति स्व0 मदरु महतो ग्राम–मानिक बाजार, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता लीलावती महतो, पति जसबंत महतो, पता–हाउस नं0–36, चाड़राडीह, थाना–कोपाली, जिला–पूर्वी सिंहभूम को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
छोटा कांकड़ा	255	19	10	0.07.071डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के ससुर विनोद महतो के नाम से खतियान में दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहती है। विक्रेता एवं क्रेता एक जिला का नहीं है एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में भूमि बिक्री करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

05/03/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner